न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 265/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
चैनसिंह पुत्र पूंजराज सिंह राजपूत निवासी– खिरजाखांस तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।		1–जेठूसिंह पुत्र चन्दनसिंह राजपूत 2–मानसिंह के का0मुकाम 2/1 मांगूसिंह 2/2 भवानसिंह राजपूत निवासी– खिरजाखांस तहसील शेरगढ जिला जोधपुर। 3–तहसीलदार शेरगढ,जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश कमांक राजस्व/प्र.गा.सं./2021/713 दिनांक 6–12–2021 **जो उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ के द्वारा पारित किया गया ।**

उपस्थितिः–

1– श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2– श्री त्रिलोकसिंह, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 2/1, 2/2 की ओर से।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 04–08–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 3 तहसीलदार शेरगढ की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के समक्ष ग्राम खिरजावांस के ख0सं0 166 व 165 की भूमि में से मौके पर चल रहे रास्तो का राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करवाने के प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार रास्ते को गै0मु0रास्ता घोषित कर नक्शा मे शुद्धि कर रेकर्ड मे अमल दरामद करने बाबत अपीलाधीन आदेश कमांक राजस्व/प्र.गां.सं./2021/713 दिनांक 6–12–2021 को पारित कर दिया, उक्त अपीलाधीन आदेश अनुसार अपीलान्ट रेवेन्यू रेकर्ड जमाबन्दी में सहखातेदार दर्ज है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार होकर अपीलाट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विधान संचिका अभिलेख तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना नोटिस बिना सुने मनमाने तौर पर पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है। जबकि अपीलान्ट रेवेन्यू रेकड जमाबन्दी में सहखातेदार दर्ज है। इस कारण वह व्यथित पक्षकार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज नहीं किया व न ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाया।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि तहसीलदार शेरगढ द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष चाल रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने सम्बन्धी किसी सहखातेदार के द्वारा

कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना प्रकरण किये सोम प्रकरण मान आदेश पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार या भू0अ0निरीक्षक से मौका रिप तलब नहीं की गई। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का व भू0अ0निरीक्षक की ओर से मौ फर्द 24.11.2021 को पेश की है जो अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बनाई, जो एकतरफ बनाई गई है। वादग्रस्त में वक्त सेटलमेन्ट रास्ता चलता होता तो सेटलमेन्ट विभाग द्वा रेवेन्यू नक्शें में रास्ता दर्शाय जाता, करीब 60 वर्षो से राजस्व नक्शें में कोई रास्ता नह दर्शाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय राजस्व लोक अदालत अभियान में प्रकरण रखक अपीलान्ट की सहमति बिना संयुक्त सहखातेदारी भूमि में से रास्ता दर्शा दिया है। जो एकपक्षीय होने से निरस्त किया जावें। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे एवं पक्षकारों को पूर्णतया सुनवाई का मौका देकर उक्त प्रकरण को मैरिट पर निर्णित करने का आदेश प्रदान करावें। अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा अपने कथनों की पुष्टि के समर्थन में विभिन्न उच्चतर न्यायालयों के निर्णय नजीरें प्रस्तुत की यथा आरआरडी, 2000 पेज 263, आरआरटी, 2009 पेज 931, आरआरडी, 1994 पेज 606, आरआरटी, 2015 पेज 608 जिनका अवलोकन कराया।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1, 2/1, 2/2 ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो विधि अनुकूल उचित है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट चैनसिंह की सुनवाई करने के उपरान्त ही उक्त खसरान की भूमि में से रास्ते दर्ज करने सम्बन्धी आदेश पारित किया है जो पूर्ण रूप से विधिवत है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील द्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित होकर व रेस्पोडेन्टस को परेशान करने की नियत से प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने के उपरान्त मौके पर अपनी हठधर्मिता व मर्जी से रास्ता रोक दिया गया है जो खुलवाया जावें। जिस पर दिनांक 21.6.2022 को तहसीलदार शेरगढ के द्वारा पटवारी हल्का को आदेश दिये जाने पर पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचकर रास्ता खुलावाया गया एवं अपीलान्ट चेनसिंह को भविष्य में रास्ता बंद नहीं करने हेतु पाबन्द किया।

इसके अतिरिक्त मौके पर खसरान भूमि में से पूर्व से ही कई वर्षो से कदीमी रास्ता चला आ रहा है और सभी काश्तकारों/सहखातेदारों के द्वारा उसका उपयोग/उपभोग किया जा रहा है। उक्त रास्ते के सम्बन्ध में मात्र अपीलान्ट को ही परेशानी हो रही हो और उसके आधार पर पूर्व संचालित रास्ते को बन्द कर दिये जाने से अन्य सहखातेदारान के प्राकृतिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अतः इन आधारों पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावें।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उपरोक्त खसरान नम्बरान भूमि में चल रहे कदीमी रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज का जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसे विधिसम्मत बताते हुए अपीलांट प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्याय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, प्रस्तुत निर्णय नजीरों इत्यादि का अवल किया। प्रकरण कदीमी रास्ते को रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के सम्बन्ध में है कि व्यापक जनहित में किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधिन न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.12.2021 के सम्बन्ध में तहसील शेरगढ को यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट/प्रार्थी को सुना जाकर प्रकरण निस्तारण करे। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 4 अगस्त, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर